

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/(बी-153/90)/अलेसे-आ ५२५

दिनांक- ०५-०५-१९

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 46/2018-19 दिनांक 06.07.2018 द्वारा श्री भवानी शंकर सिद्ध (लिंक नं० 4069), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर से कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिद्ध द्वारा आदिनांक भी नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री भवानी शंकर सिद्ध, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को एतद्वारा उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक ०५-०५-२०१९ को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि श्री सिद्ध का निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर में कार्य करने का अधिकार समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 / 2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/(बी-153/90)/अलेसे-आ ५२५

दिनांक- ०५-०५-१९

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधि संगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/ कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/ कार्यालय का ही होगा।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. श्री भवानी शंकर सिद्ध, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य संपादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/ कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ)